WIR

IN THE BOARD OF REFVENUE FOR RAJASTHAN AT

AJMER

.....

Revision R.T. Act No. 3033 /2001/Sriganganagar

.....

1. Ajay Kumar S/o Banshi Ram by caste Arora R/o Village Rattewala Tehsil Padampur Distt. Sriganganagar.
2. Ram Lal S/o Nathu Ram by caste Kumhar R/o Village Rattewala Tehsil Padampur Distt. Sriganganagar.
3. Nathu Ram S/o Ladu Ram by caste Kumhar R/o Village Rattewala Tehsil Padampur Distt. Sriganganagar. .....Petitioners

VERSUS

1. Smt. Krishna Devi widow of late Shri Gyan Chand S/o late Shri Khandu Ram by caste Oad age 62 years R/o Kailash Nagar, Ghaziabad (U.P.) through her mukhtyaraam Shri Deewan Chand S/o late Shri Khandu Ram by caste Oad R/o Ward No. 7, Purani Aabadi, Sriganganagar.
2. Deewan Chand S/o late Shri Khandu Ram age 58 years by caste Oad R/o Ward No. 7, Purani Aabadi, Sriganganagar.
3. Bhagwan Das S/o late Shri Khandu Ram by caste Oad R/o Village Rattewala at present residing near Inter Jain College, Ganga Shahar Road, Bikaner.

COMPARED BY

4. Ashok Kumar S/o Shri Gyan Chand S/o late Shri Khandu Ram by caste Oad, R/o 649, Kailash Nagar, Ghaziabad (U.P.). .....Non petitioners

.....

REVISION PETITION UNDER SECTION 230 OF THE RAJASTHAN TENANCY ACT AGAINST THE ORDER OF THE SUB DIVISIONAL OFFICER, PADAMPUR DATED 18.4.2011

.....

COMPARED BY

WR

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02-11-2015	**एकल–पीठ** **श्री मिरजू राम शर्मा, सदस्य** ---- उपस्थितः श्री एन.के. गोयल, अधिवक्ता प्रार्थीगण। श्री प्रदीप विश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–2 --- **आदेश** यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर कम उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर द्वारा प्रकरण संख्या 11/2010 में पारित आदेश दिनांक 18–4–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर कम उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण के दौरान प्रतिवादीगण (हाल प्रार्थीगण) द्वारा अपना जवाब दावा पेश नहीं कर आदेश 7 नियम 11 (घ) जाप्ता दीवानी पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 18–4–2011 द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया है कि उक्त प्रार्थना पत्र जवाबदावा, दोनों पक्षों की साक्ष्य एवं तनकीयात के कायम करने के पश्चात् ही निर्णित किया जा सकता है। उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3. हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी। 4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का कथन है कि खण्डूराम विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार था। स्व0 खण्डूराम द्वारा विवादित 25 बीघा भूमि का बेचान चरण सिंह, पूरण सिंह, दर्शन सिंह एवं रतन सिंह पुत्रगण श्री सुन्दर सिंह जाति कम्बोज सिख जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 06–5–1959 द्वारा किया गया, जिस पर नामांतकरण	

266

COMPARED BY

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खुलने के पश्चात् उक्त भूमि आगे से आगे बेचान होती गई तथा अब यह भूमि वर्तमान प्रर्थीगण को बेचान हुई है। इसके बाद सहायक कलक्टर कम उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के समक्ष लगभग 50 वर्ष की अवधि के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उद्घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया था। जिस पर प्रतिवादी/हाल प्राथीगण द्वारा आदेश 7 नियम 11 (घ) जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि रजिस्टर्ड बेचान नामों को राजस्व न्यायालय को निरस्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, यह क्षेत्राधिकार दीवानी न्यायालय को प्राप्त है। प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (घ) जाप्ता दीवानी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानों की उल्लंघना करते हुए खारिज कर लिया गया, जबकि उक्त प्रावधान में यह स्पष्ट है कि यदि वाद पत्र में वर्णित कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद विधि द्वारा वर्जित है तो नामंजूर किया जावेगा। वर्तमान वाद के जरिए पंजीकृत बयनामा दिनांक 06-5-59 से लेकर अब तक के बयनामों (विक्रय पत्रों) जो कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम को वादी निरस्त करवाना चाहता है, जो क्षेत्राधिकार मात्र दीवानी न्यायालय को है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने 2009 आर.आर.डी. पेज 750 तथा 2003 डी.एन.जे. (एस.सी.) पेज 107 न्यायिक दृष्टांतो का भी हवाला दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (घ) जाप्ता दीवानी में वर्णित तथ्यों की ओर गौर नहीं करते हुए सरसरी तौर पर जो आक्षेपित आदेश पारित किया है, वह नोनस्पीकिंग आदेश की श्रेणी में आता है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय सहायक कलक्टर कम उपखण्ड अधिकारी, पदपमुर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश निरस्त फरमाया जावे। 5. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में स्पष्टतः जाहिर किया गया है कि जवाबदावा आने के पश्चात् तथा तनकीयात कायम कर	

COMPARED BY

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दोनों पक्ष की साक्ष्य लेकर ही गुणदोष के आधार पर प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (घ) जाप्ता दीवानी को निर्णित किया जाएगा, जो एक विधिसम्मत आदेश है, जहां तक क्षेत्राधिकार का संबंध है विधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पंजीकृत विक्रय पत्रों के संबंध में राजस्व न्यायालय सुनवाई नहीं कर सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित है जिसमें निगरानी के जरिए हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य ही नही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे। 6. हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। 7. वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि स्व0 श्री खन्डूराम के वारिसान अप्रार्थीगण है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हाल अप्रार्थी संख्या-1 व 2 द्वारा अन्तर्गत धारा 88 व, 91 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद हाल प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 4 व राजस्थान के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। विवादित आराजी जीवों के आधार पर खण्डूराम को परिवार के जीवों के आधार पर आवंटित हुई थी। अकेल खण्डूराम को विवादित आराजी को बेचान का अधिकार नहीं था अथवा नहीं, उक्त समस्त तथ्य मूल वाद में सम्पूर्ण कानूनी प्रकिया एवं साक्ष्य-जवाब आदि के पश्चात् तय होने है। मूल दावा अभी प्रारम्भिक स्तर पर है और उसमें उभय पक्ष के हक हकूक एवं अधिकार तय होना बाकी है। सहायक कलेक्टर कम उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का का आदेश दिनांक 18-4-2011 विस्तृत एवं पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण के पश्चात पारित किया गया है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी खारिज करने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है।	

COMPARED BY

ता॰ व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	8. सिविल प्रकिया संहिता का आईर 7 नियम 11 निम्न प्रकार है:-	
	***"11. Rejection of plaint.-** The plaint shall be rejected in the following cases:—*	
	(a) where it does not disclose a cause of action;	
	(b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the Court to correct the valuation within a time to be fixed by the Court, fails to do so;	
	(c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is returned upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the Court to supply the requisite stamp-paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so;	
	(d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law;	
	(e) where it is not filed in duplicate;	
	(f) where the plaintiff fails to comply with the provisions of rule 9;	
	Provided that the time fixed by the Court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp-paper shall not be extended unless the Court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature from correcting the valuation or supplying the requisite stamp-paper, as the case may be, within the time fixed by the Court and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff.	
	इस प्रकार इस नियम के अनुसार दावा खारिज किया जावेगा यदि (क) वाद हेतुक को प्रकट नहीं किया गया हो, (ख) अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया हो, (ग) वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्रों पर लिखा गया हो, (घ) वाद किसी विधि द्वारा वर्जित हो, (ड.) वादपत्र डुप्लीकेट में प्रस्तुत नहीं करना अथवा (च) नियम 9 की अनुपालना नहीं की गयी हो। जब आईर 7 नियम 11 का प्रार्थनपात्र इस बिन्दु पर आधारित हो कि वाद विधि द्वारा वर्जित है अर्थात निगरानी	

COMPARED BY

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थनापत्र का आधार आईर 7 नियम 11 का उपनियम (घ) हो तो उपनियम (घ) की शब्दावली "where the suit **appears from the statement in the plaint** to be barred by any law" पर ध्यान देना आवश्यक है जिसका आशय यह है कि आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थनापत्र में यह स्पष्ट करना होगा कि वादपत्र के **''कौन से अभिकथन''** के कारण दावा **''किस विधि''** से बाधित है। अगर प्रार्थनापत्र में ऐसा खुलासा नहीं किया गया है तो प्रार्थनापत्र स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। प्रार्थना पत्र व वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा के संबंध में है, जो राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के तथ्य इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। 9. अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को प्रथम दृष्ट्या विधि द्वारा वर्जित नहीं माना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-4-2011 में ऐसी कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि जाहिर नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। 10. परिणामतः हस्तगत् निगरानी सारहीन होने से एतद् द्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली बाद फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो । आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। 02/11/15 **(मिरजू राम शर्मा)** **सदस्य**	Noted 02/11/15

COMPARED BY